

अनुदान संख्या 69 – अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
GRANT No. 69 – MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	4657,75,00		
			4657,77,00	4225,23,58
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			432,47,30
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	153,02,00	100,00,00	-53,02,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			53,02,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	252159.00		
पू.	S.	1.00	242426.98	242426.97
पु.	R.	-9733.02		-0.01
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O.	48860.00		
पू.	S.	1.00	40535.36	40529.27
पु.	R.	-8325.64		-6.09

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 46325.00			
	
पु.	R. -46325.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 115052.00	137007.01	137007.01	..
पु.	R. 21955.01			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O. 580.00
पु.	R. -580.00			

(I) ₹46905.00 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹45880.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए—

(I) Provision of ₹46905.00 lakhs remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹45880.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552" -

(क) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीम" - ₹600.00 लाख;

(a) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Aid to Voluntary Organisations- Coaching and Allied Scheme for Minorities"- ₹600.00 lakhs;

- (ख) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य व्यय" -
- (i) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता - सह-साधन छात्रवृत्ति" - ₹2800.00 लाख;
- (ii) "अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति" - ₹11000.00 लाख;
- (iii) "अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति" - ₹4600.00 लाख;
- (iv) "अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - ₹800.00 लाख;
- (v) "कौशल विकास पहल" - ₹2000.00 लाख;
- (vi) "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" - ₹21255.00 लाख; और
- (vii) "मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन को सहायता - अनुदान" - ₹900.00 लाख; और
- (viii) "मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम" - ₹1400.00 लाख।
- (b) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Expenditure"-
- (i) "Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities"- ₹2800.00 lakhs;
- (ii) "Pre-Matric Scholarship for Minorities"- ₹11000.00 lakhs;
- (iii) "Post-Matric Scholarship for Minorities"- ₹4600.00 lakhs;
- (iv) "National Fellowship for students from Minorities Communities"- ₹800.00 lakhs;
- (v) "Skill Development Initiatives"- ₹2000.00 lakhs;
- (vi) "Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)" - ₹21255.00 lakhs;
- (vii) "Grants-in-Aid to Maulana Azad Education Foundation"- ₹900.00 lakhs; and
- (viii) "Education Scheme for Madarsas and Minorities" - ₹1400.00 lakhs.

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें - केन्द्रीय सहायता/हिस्सा - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" - ₹525.00 लाख - संघ राज्य क्षेत्रों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share-Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)" - ₹525.00 lakhs - due to receipt of less viable proposals from Union Territories.

(II) मुख्य शीर्ष "2225" – "अल्पसंख्यकों का कल्याण" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "आर्थिक विकास – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" – ₹12745.41 लाख की बचत (₹19202.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए के लिए कम निधियों की आवश्यकता, कम बैठकों का आयोजन होने, कम विज्ञापनों, कम पेशेवरों को रखे जाने और विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "शिक्षा"–

(क) "अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति" – ₹795.75 लाख की बचत (₹41790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनआईसी से प्रत्यक्ष अंतरण की कम मांग, छात्र लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम पेशेवरों को रखे जाने के कारण हुई।

(ख) "अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" – ₹1700.00 लाख की बचत (₹9100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम दावे प्राप्त होने तथा पेशेवरों को नहीं रखे जाने के कारण हुई।

(ग) "मुफ्त कोचिंग और संबद्ध स्कीम" – ₹3585.00 लाख की बचत (₹7300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों को वृत्तिका संवितरित न किए जाने, कम पेशेवरों को रखे जाने और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्ति के कारण हुई।

(घ) "नई मंजिल" – ₹3413.80 लाख की बचत (₹8300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य/पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2225" - "Welfare of Minorities" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Economic Development - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)"- saving of ₹12745.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19202.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards rent, conduction of less meetings, less advertisements, hiring of less professionals and receipt of less proposals from Union Territories without legislature.

(B) "Education"-

(a) "Post-Matric Scholarship for Minorities"- saving of ₹795.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41790.00 lakhs) was due to less demand of Direct benefit transfer charges from NIC, receipt of less proposals from student beneficiaries and hiring of less professionals.

(b) "Maulana Azad National Fellowship for Minority Students"- saving of ₹1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9100.00 lakhs) was due to receipt of less claims from University Grant Commission and non-hiring of professionals.

(c) "Free Coaching and Allied Scheme"- saving of ₹3585.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7300.00 lakhs) was due to non-disbursal of stipend to beneficiaries, non-hiring of professionals and receipt of less proposals from programme implementing agencies.

(d) "Nai Manzil" – saving of ₹3413.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8300.00 lakhs) was due to non-receipt of viable/complete proposals from the programme implementing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान" – ₹2070.61 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विज्ञापन और प्रचार के कारण हुई।

(खा) "स्कीमों का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन" – ₹511.60 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बैठकों और कार्यशालाओं के आयोजन तथा कम अध्ययन किए जाने के कारण हुई।

(गा) "हज पर व्यय" – ₹925.31 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों के लिए हज 2021 के रद्द होने और सउदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर न होने के कारण हुई।

(घा) "भारत का महावाणिज्य दूतावास की स्थापना, जेद्दाह" – ₹8165.42 लाख की बचत (₹8800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए हज 2021 को रद्द किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "कौमी वक्फ बोर्ड तारकियाती स्कीम" – ₹687.91 लाख की बचत (₹1360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय वक्फ परिषद और एनईआर वक्फ से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कार्यशालाओं का आयोजन न किए जाने और कम पेशेवरों को रखे जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – शिक्षा सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम" – ₹536.85 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare – Other Programmes"- savings occurred under the following heads: -

(A) "Media Campaign for Minorities" - saving of ₹2070.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to less advertisement and publicity.

(B) "Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes" - saving of ₹511.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to conduction of less meetings, workshops and less studies undertaken.

(C) "Expenditure on Haj"- saving of ₹925.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to cancellation of Haj 2021 for International pilgrims and non-signing of bilateral agreement with Kingdom of Saudi Arabia.

(D) "Establishment of Consulate General of India, Jeddah" – saving of ₹8165.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8800.00 lakhs) was due to cancellation of HAJ 2021 for International and Indian pilgrims.

(E) "Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme (QWBTS)"- saving of ₹687.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1360.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Central Waqf council and NER waqf, non-conduction of workshops and hiring of less professionals.

(IV) Under Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Education Empowerment, Skill Development and Livelihoods and Special Programmes of Minorities"- saving of ₹536.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹840.34 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम थीं और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 और 57 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतों (₹3267.46 लाख) का उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक तौर पर किया गया था जैसा कि दिसम्बर, 2021 में मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण—अन्य कार्यक्रम – विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों का उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद)" – के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" – "अल्पसंख्यकों का कल्याण – शिक्षा" –

(क) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति" – ₹5047.89 लाख का अधिक व्यय (₹29390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति" – ₹8478.09 लाख का अधिक व्यय (₹126290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय लाभार्थियों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम – कौशल विकास पहलें" – ₹1248.12 लाख का अधिक व्यय (₹25600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पीएमयू की स्थापना के लिए पेशवरों को रखे जाने के कारण हुआ।

(V) Under two heads savings of ₹840.34 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 37 percent and 57 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹3267.46 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2021 under Major Head "2235"- "Social Welfare - Other Programmes - Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Minorities - Education"-

(a) "Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities"- excess of ₹5047.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29390.00 lakhs); and

(b) "Pre-Matric Scholarship for Minorities"- excess of ₹8478.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹126290.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to receipt of more proposals from beneficiaries and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2235"- "Social Welfare - Other Programmes - Skill Development Initiatives" – excess of ₹1248.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25600.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and hiring of professionals for setting up of PMU.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" – ₹22213.01 लाख का अधिक व्यय (₹98017.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	15301.00			
पु.	R.	-5301.00			
			10000.00	10000.00	..

(I) ₹2.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "अल्पसंख्यकों का कल्याण – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत – ₹5300.00 लाख की बचत (₹15300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)" – excess of ₹22213.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98017.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
		..

(I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under "Welfare of Minorities - Investment in Public Sector and other Undertaking - National Minorities Development and Finance Corporation"- saving of ₹5300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15300.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.